

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१३

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **डा० राजकुमार शर्मा**
2. वर्तमान धारित पद **वैज्ञानिक अधिकारी**
3. वर्तमान वेतन **15,600/-39,100+5,400** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01-07-2013**

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
① सुखवासी झापुरा, भिठ्ठ	-	4.5 वीवा	8.00 लाख (अछुमानित)	स्वयं के नाम पर	क्रम कर अर्जित	10,000/- छठी वर्ष (अछुमानित)		
② सुखवासी झापुरा, भिठ्ठ	-	2.3 वीवा	50.0 लाख (अछुमानित)	पिता के नाम पर	विरासत में आर्जित	25,000/- छठी वर्ष (अछुमानित)		
③ मिस्रोद खलेया, श्रोपाल	-	शूष्क	25.00 लाख (अछुमानित)	स्वयं द्वारा पत्री के नाम पर	क्रम कर अर्जित राष्ट्रीकृत बैंक से अर्जा लेकर क्रम किभा डाम	-	-	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निधरिण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को, तथा उसके द्वारा अर्जित अधिकारी उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यारे हैं।

हस्ताक्षर

नाम

पद